

41663 - उसकी मृत्यु हो गई और उसने कोताही की वजह से हज्ज नहीं किया तो क्या उसकी ओर से हज्ज किया जायेगा?

प्रश्न

नमाजों की पाबंदी करनेवाला था। वह हर साल कहता था कि : इस साल मैं हज्ज करूँगा। उसकी मृत्यु हो गयी और उसके वारिस हैं, तो क्या उसकी तरफ से हज्ज किया जायेगा? और क्या उसके ऊपर कोई चीज़ अनिवार्य है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकारकी प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाहके लिए योग्य है।

"विद्वानोंने इसके बारे में मतभेद किया है। चुनाँचे उनमें से कुछ का कहना है: उसकी ओर से हज्ज किया जाएगा, और उसे इसका लाभ पहुँचेगा, और यह ऐसेही होगा जैसे किकिसी ने अपनी ओर से हज्ज किया हो। जबकि कुछ लोगोंने कहा है: उसकी ओर से हज्ज नहीं किया जायेगा, और यह कि यदिउसकी ओर से हज्जारबार भी हज्ज किया जाए, वह क्रबूल नहीं होगा। अर्थात् उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। और यही कथन सत्य है। क्योंकि इस आदमीने बिना किसी उज्ज़के एक ऐसी इबादत को छोड़ दिया जो उसके ऊपर अनिवार्य और तुरंत फर्जी है। तो यह कैसे हो सकता है कि वह (स्वयं) तो इस कर्तव्य को छोड़ देता है, फिर मृत्युके बाद हम उसे इसका प्रतिबद्ध बनाते हैं। रही बात विरासत की तो अब इससे वारिसों का अधिकार संबंधित हो गया है, सो हम उन्हें इस हज्ज की कीमत से कैसे वंचित कर सकते हैं? जबकि वह उसके मालिक की ओर से पर्याप्त भी नहीं होगा। इसी चीज़ को इब्नुल क़ैथिम रहिम हुल्लाह ने "तहज्जी बुस्सुनन" में उल्लेख किया है, और मैं भी यही कहता हूँ कि: जिस व्यक्ति ने हज्ज को लापरवाही करते हुए उस पर सक्षम होने के बावजूद छोड़ दिया, तो उसकी ओर से हज्ज कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, भले ही लोग उसकी ओर से हज्जारबार हज्ज करें। रही बात ज़कात की, तो कुछ विद्वानोंने कहा है: यदि वह मर गया और उसकी तरफ से ज़कात अदाकर दी गई तो उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त हो जायेगी। लेकिन मैंने जो नियमवर्णन किया है उसकी अपेक्षा यह है कि ज़कात से भी उसकी ज़िम्मेदारी समाप्त न हो। लेकिन मेरा विचार है कि मैंने की छोड़ी हुई संपत्ति से ज़कात को निकालना चाहिए, क्योंकि उसके साथ गरीबों और ज़कात के अधिकारी लोगों का हक्क संबंधित है। जबकि हज्ज का मामला इसके विपरीत है, अतः उसे उसके तर्क (मृत की छोड़ी हुई संपत्ति) से नहीं निकाला जायेगा क्योंकि उससे किसी मनुष्य का हक्क संबंधित नहीं होता है। जबकि ज़कात के साथ इन्सान का हक्क संबंधित होता है, इसलिए ज़कात को उसके अधिकारी लोगों के लिए निकाला जायेगा, लेकिन उसके मालिक की ओर से काफी नहीं होगा, और उसे उस व्यक्ति के समान सज़ा दी जायेगी जिसने ज़कात अदानहीं किया, अल्लाह तआलासे दुआ है कि वह हमें इससे सुरक्षित रखे। इसी तरह रोज़ेका भी मामला है, यदि पता चल जाए कि इस आदमीने रोज़ा छोड़ दिया है और उसकी क़ज़ा करने में लापरवाही की है, तो उसकी तरफ से क़ज़ा नहीं किया जायेगा क्योंकि उसने लापरवाही से काम लिया है और इस इबादत को जो कि इस्लाम के स्तंभों में से एक स्तंभ है बिना किसी उज्ज़ (शर्ई कारण) के छोड़ दिया है, इसलिए यदिउसकी ओर से क़ज़ा किया जाए तो उसे लाभ नहीं पहुँचेगा। जहाँ तक आप

सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमका यह फरमान हैकि : "जो व्यक्तिमर गया और उसकेऊपर रोज़े हैं तोउसका वली (अभिभावक)उसकी ओर से रोज़ारखे।" तो यह उस आदमीके बारे में हैंजिसने कोताही वलापरवाही से कामनहीं लिया है, लेकिन जिसआदमी ने खुल्लमखुल्ला बिना किसीशरई उज्ज्र के क़ज़ाको छोड़ दिया तोउसकी तरफ से क़ज़ाकरने का क्या फायदा है।" अंत